मु0न0:– 44/2024 उनवान:– चैनसिंह बनाम चन्द्रशेखर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

मु0न0 44/2024 रजू दिनांक:– 07.08.2024

पीठासीन अधिकारी:– पूजा मीना आर.ए.एस

उनवान

चैनसिंह पुत्र टीकाराम मीना निवासी नांगलशेरपुर तहसील बालघाट जिला गंगापुर सिटी

सायल

बनाम

1. चन्द्रशेखर उर्फ बबलू पुत्र टीकाराम मीना
2. बृजेश पुत्र टीकाराम मीना
3. टीकाराम पुत्र मांगीलाल मीना

निवासीयान नांगलशेरपुर तहसील बालघाट जिला गंगापुर सिटी।

प्रार्थना पत्र अरथाई निषेधाज्ञा

उपरिथति:– श्री कुबल्लीराम एडवोकेट सायल
श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट गैरसायल न0 1
श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट गैरसायल न0 2
श्री रामअवतार शर्मा गैरसायल न0 3

निर्णय दिनांक:– 03.06.2025

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अरथाई निषेधाज्ञा का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम नांगलशेरपुर की आराजी ख0न0 702 रकवा 0.24 है0 के 1/3 हिस्से के बटे हुए भाग के भू–भाग रकवा 0.08 है0 जो कि आराजी के पूर्व दिशा की और मनीराम की मेढ से व दक्षिण दिशा की ओर सडक से सटी हुई है, जिस पर दिनांक 03.06.2019 से ही सायल उक्त आराजी पर निरन्तर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है।

यह है कि उक्त आधार पर सायल के द्वारा इस सम्मानीय अदालत मे दावा बावत स्थाई निषेधाज्ञा पारित किए जाने का पेश किया है, जिसे इस प्रार्थना पत्र का अहम हिस्सा समझा जावे, उसका विवरण इस प्रार्थना पत्र मे दिया जाना आवश्यक नही समझा गया है।

यह है कि गैरसायलान उच्च स्तर के पुलिस कार्मिक होने पर पुलिस व प्रशासन से भारी रसूखात रखते है। गॉव मे सायल के पक्ष मे कोई भी व्यक्ति बोलने की हिम्मत नही रखता है। गैरसायलान के द्वारा सायल के कब्जे काश्त मे चली आ रही आराजी ख0न0 702 रकवा 0.24 है0 मे 4/9 हिस्सा रकवा 0.11 है0 का जाली बैनामा पंजीकृत करवा कर आनन–फानन मे गैरसायल न0 1 के नाम नामांतकरण दाखिल रजिस्टर करवा लिया है। गैरसायल सायल की कब्जे काश्त के भू–भाग रकवा 0.08 है0 सहित सम्पूर्ण भूमि रकवा 0.24 है0 पर कब्जा करना चाहते है। ओर सायल की आराजी ख0न0 702 रकवा 0.24 हे0 मे उसके कब्जे काश्त के भू–भाग रकवा 0.08 है0 जोकिआराजी के पूर्व दिशा की ओर मनीराम की मेढ से व दक्षिण दिशा की ओर सडक से सटी हुई है, से सायल को बेदखल करना चाहते है। सायल का वर्णित रकवा 0.08 [illegible] लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा हैयदि गैरसायलान ने सायल के कब्जे काश्त के उक्त वर्णित [illegible] भाग से बेदखल कर, कब्जा कर लिया तो सायल को गम्भीर अपूर्तनीय [illegible] किसी भी सूरत मे कभी नही की जा सकेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:06:36 IST
Reason: SelfAttested

सायल का प्रथम दृष्टया प्रकरण बखूबी साबित है। सुविधा का संतुलन सायल के [illegible] बखूबी साबित है तथा अरथाई निषेधाज्ञा जारी नही की गई तो सायल को अपूर्तनीय क्षति होगी,

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

जिसकी क्षतिपूर्ति होना संभव नही है, जबकि गैरसायल को कोई अपूर्तनीय क्षति किसी प्रकार की नही है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान को ता दावा फैसला पाबन्द फरमाया जावे कि ग्राम नांगलशेरपुर की आराजी ख0न0 702 रकवा 0.24 है0 के 1/3 हिस्से के बटे हुए भू–भाग रकवा 0.08 है0 जो कि पूर्व दिशा मे मनीराम की मेढ व दक्षिण दिशा की और सडक से सटी हुई है, से सायल को बेदखल कर कब्जा नही करे कब्जेकाश्त मे सायल को किसी प्रकार की बाधा मजाहमत नही करे नाही किसी अन्य से करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। **गैरसायल न0 1** ने जरिये वकालतन जबाव पेश किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात ख0न0 702 रकवा 0.24 है के किसी भी हिस्से से सायल का कोई संबध किसी प्रकार का नही है सायल का किसी भी रकवा 0.08 हे0 पर किसी भी दिशा मे कोई कब्जा नही है और जब कब्जा ही नही है तो काश्त करने का सवाल पैदा नही होता वर्णित आराजी जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र से खातेदारान से कय कर कब्जा प्राप्त किया तथा कब्जा काश्त है। सायल उक्त आराजी मे खातेदार नही है। तथा स्थायी निषेधाज्ञा का दावा खातेदार ही ला सकता है, गैरसायलान ने ख0न0 702/0.24, 703/0.30 है0 पूर्व खातेदारान से उनका 4/9 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 12.7.2024 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया तथा खरीद के बाद उक्त आराजी का नामांतकरण भी गैरसायल के नाम खुल चुका है, पूर्व खातेदार द्वारा अपने कब्जे की आराजी ख0न0 702 पर जहॉ विकेता काबिज थे वही गैरसायल न0 1 को कब्जा करा दिया, इस प्रकार वर्णित आराजीयात से सायल या अन्य किसी व्यक्ति का कोई संबध किसी भी प्रकार का नही है अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

गैरसायल न0 2 ने जरिये वकालतन जबाव पेश किया कि गैरसायल न0 2 अपने दत्तक पिता रामसहाय के बचप से ही गोद चला गया था उसके समस्त दस्तावेजो मे पिता का नाम रामसहाय दर्ज है तथा उसकी मृत्यु के बाद उसके एक मात्र वारिस होने के कारण उसका रामसहाय के स्थान पर नामांतकरण खुल गया तथा समस्त राजस्व रिकार्ड मे गैरसायल न0 2 का नाम दर्ज हो गया है तथा सायल व गैरसायल न0 1 के पिता टीकाराम के मध्य आराजी का विधिवत बटवारा नही हुआ है जिसका दावा टीकाराम बनाम चैनसिंह वगै0 माननीय न्यायालय मे विचाराधीन है। गैरसायल न0 3 टीकाराम व गैरसायल न0 2 के मध्य अपने आवासीय मकानात आबादी का भी दिनांक 17.03.2023 को बहामी बटवारा हो गया है तथा सभी ने अलग–अलग विधुत कनेक्शन करवा लिये है जिसकी पुष्टि स्वंय सायल के बयानात अन्तर्गत धारा 161 जा0दी0 मु0न0 138/23 थाना बालघाट मे स्वंय ने की है अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

गैरसायल न0 3 ने जरिये वकालतन जबाव पेश किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात ख0न0 702 रकवा 0.24 है0 को अन्य आराजी के साथ गैरसायल न0 1 ने खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है जिससे गैरसायल न0 1 के अलावा मेरा या अन्य किसी भी व्यक्ति का कोई संबध किसी प्रकार का नही है आराजी पर सायल का कब्जा नही है तो उसे बेदखल करने का प्रश्न ही कहॉ पैदा होता है वर्णित आराजीयात ख0न0 702 रकवा 0.24 हे0 पर सायल का दिनांक 30.06.2019 से या कभी कब्जा नही रहा है और नाही आज है सायल को कोई क्षति नही है जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से गैरसायल न0 1 को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी। अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:36:36 IST
Reason: SelfAttested

उभयपक्षकारान वकील की बहस सुनी गई सायल ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा की लिखित बहस मे कथन किया कि सायल व गैरसायल न0 1 व 2 सगे भाई है गैरसायल न0 3 उनके जैविक पिता है जो कि कालेज शिक्षा मे प्राचार्य के पद से सेवानिवृत्त हुए है गैरसायल न0 1 पढने लिखने मे कमजोर होने के कारण से वर्तमान मे बेरोजगार है जो कि गाव मे खेती बाडी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

संभालता था। सायल के पिता गैरसायल न0 3 के द्वारा जरिये विक्री करार मगन, फूलचन्द से आराजी ख0न0 702 रकवा 0.24 है0 सायल के पिता द्वारा स्वंय की अर्जित आय से खरीदा गया था लेकिन जरिये बेनामी बिक्री करार की लिखित का सायल के छोटे भाई चन्द्रशेखर के पक्ष मे निष्पादन किया था जिस समय निष्पादन किया उस समय गैरसायल न0 1 नाबालिग था उसके पास आय का कोई स्त्रोत नही था, सायल के पिता गैरसायल न0 3 के द्वारा खरीदी गई आराजी परिवार के शामलाती कब्जे मे थी, दिनांक 30.06.2019 को सायल के पिता गैरसायल न0 3 के द्वारा अपनी सम्पूर्ण आराजीयात का तीनो भाईयो के बीच बटवारा कर दिया था, जिसके आधार पर गाव के प्रतिष्ठित व्यक्तियो व परिवार के रिश्तेदारान् की उपस्थिति मे अपने तीनो पुत्रो सायल व गैरसायल न0 1 व 2 की उपस्थिति मे बकायदा एक फैमिली सेटलमेन्ट लिखकर हस्ताक्षर कराये, जिसकी फोटो कापी सायल व गैरसायल न0 1 व 2 को सुपुर्द करने बाद मौके पर बटवारा कर तीनो भाईयो को कब्जा मौका सुपुर्द कर दिया था, तभी से विवादित आराजीयात ख0न0 702/0.24 है0 के तीन हिस्से कर सायल को वादपत्र मे वर्णित हिस्से पर कब्जा सुपुर्द कर दिया गया था। गैरसायल न0 1 की नियत मे खोट उत्पन्न हो गया और दौराने विवाद आराजी मे सायल के द्वारा अपने हिस्से की जुताई करवाये जाने पर गैरसायल न0 2 के द्वारा साजिश पूर्वक गैरसायल न0 1 को उत्प्रेरित किए जाने पर, गैरसायल न0 1 व 3 के द्वारा अपने परिवार के सदस्यो के साथ एकराय होकर सायल पर जानलेवा हमला कर उसे गम्भीर रूप से घायल कर दिया जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवादी न0 1 व उसके परिवार के सदस्यगण व गैरसायल न0 3 कारित अपराध अन्तर्गत धारा 147, 146, 149, 325, 307 भा0द0स0 के आरोपो के समक्ष माननीय न्यायालय अति0 सेशन न्यायाधीश सख्या–1 हिण्डौन सिटी मे अन्वीक्षा भोग रहे है, घटना मौका वारदात बकायदा विवादित आराजी ख0न0 702 का दर्शित कर कशीद किया जाकर पुलिस के द्वारा चालान के साथ सलग्न किया है। दिनांक 12.7.2024 को गैरसायलान द्वारा साज कर जाली लेनदेन दर्शित करते हुये उक्त आराजी ख0न0 702/0.24 है0 मे 4/9 हिस्सा रकवा 0.11 है0 का सहखातेदारान मगन व बाबूलाल पुत्र फूलचन्द से गैरसायल न0 1 के द्वारा अपने ह कमे रजिस्टर्ड करवा लिया है

गैरसायल न0 1 के वकील ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा की लिखित बहस मे कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात 702 रकवा 0.24 हे0 के 1/3 भू–भाग रकवा 0. 08 है0 जो कि आराजी के पूर्व दिशा की ओर मनीराम की मेढ से व दक्षिण दिशा की ओर सडके से सटी है पर दिनांक 30.06.19 से स्वामित्व होने पर उक्त भूमि निरन्तर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है से सायल को बेदखल कर स्वंय कब्जा नही करे जिसका जबाब गैरसायल न0 1 द्वारा पेश किया जा चुका है, चुकि सायल द्वारा लिखित बहस पेश की है इसलिये गैरसायल न0 1 की और से लिखित बहस निम्नानुसार है कि ख0न0 702/0.24 हे0 मे साय का किसी भी भू–भाग किसी भी रकवा 0.08 हे0 पर आज दिन तक कब्जा नही रहा है सायल का आराजी से कोई संबध किसी प्रकार का नही रहा है और नाही आज भी कब्जा है ना तो सायल आराजी से कोई संबध आज दिन तक रहा है और नाही गैरसायल न0 1 कर्ता खानदान है सायल व गैरसायलान अलग–अलग रहते है जिनका सयुक्त परिवार नही है बल्कि आराजी गैरसायल न0 1 की खरीदशुदा आराजी है जिस पर गैरसायल न0 1 काबिज एवं दखील है, गैरसायल न0 1 ने ख0न0 702/0.24, 703/0.30 है0 पूर्व खातेदारान से उनका 4/9 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 12.7. 2024 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया तथा खरीद के बाद उक्त आराजी का नामांतकरण भी गैरसायल के नाम खुल चुका है, उक्त आराजी का सायल किसी भी हिस्से का खातेदार काश्तकार नही है वर्णित आराजीयात मे गैरसायल न0 1 [illegible] पक्षकार नही बनाया है तथा सायल द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया [illegible] स्थायी निषेधाज्ञा का दावा खातेदार ही ला सकता है। वर्णित तथ्यो से कोई भी [illegible] नही है इस बिना पर प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:06:36 IST
Reason: SelfAttested

गैरसायल न0 2 के वकील ने जबाब प्रार्थना पत्र मे व[illegible] तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि गैरसायल न0 2 अपने दत्तक पिता रामसहाय के बचप से ही गोद चला गया था उसके समस्त दस्तावेजो मे पिता का नाम रामसहाय दर्ज है तथा उसकी मृत्यु के बाद उसके एक

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

मात्र वारिस होने के कारण उसका रामसहाय के स्थान पर नामांतकरण खुल गया तथा समस्त राजस्व रिकार्ड मे गैरसायल न0 2 का नाम दर्ज हो गया है तथा सायल व गैरसायल न0 1 के पिता टीकाराम के मध्य आराजी का विधिवत बटवारा नही हुआ है जिसका दावा टीकाराम बनाम चैनसिंह वगै0 माननीय न्यायालय मे विचाराधीन है। गैरसायल न0 3 टीकाराम व गैरसायल न0 2 के मध्य अपने आवासीय मकानात आबादी का भी दिनांक 17.03.2023 को बहामी बटवारा हो गया है तथा सभी ने अलग–अलग विधुत कनेक्शन करवा लिये है जिसकी पुष्टि स्वंय सायल के बयानात अन्तर्गत धारा 161 जा0दी0 मु0न0 138/23 थाना बालघाट ने स्वंय ने की है अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

गैरसायल न0 3 के वकील ने जबाव प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात ख0न0 702 रकबा 0.24 है0 को अन्य आराजी के साथ गैरसायल न0 1 ने खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है जिससे गैरसायल न0 1 के अलावा मेरा या अन्य किसी भी व्यक्ति का कोई संबध किसी प्रकार का नही है आराजी पर सायल का कब्जा नही है तो उसे बेदखल करने का प्रश्न ही कहॉ पैदा होता है वर्णित आराजीयात ख0न0 702 रकबा 0.24 हे0 पर सायल का दिनांक 30.06.2019 से या कभी कब्जा नही रहा है और नाही आज है सायल को कोई क्षति नही है जबकि अरथाई निषेधाज्ञा जारी होने से गैरसायल न0 1 को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्षकारान वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली मे शामिल दस्तावेजात का अवलोकन किया। सायलान द्वारा प्रस्तुत मूल दावे की पत्रावली मे शामिल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कमांक 202401184000360 दिनांक 12.7.2024 से पूर्व खातेदारान बाबू पुत्र फूलचन्द जाति मीना, तथा मनग पुत्र फूलचन्द जाति मीना निवासी ग्राम नांगलशेरपुर द्वारा आराजी ख0न0 702/0.24, 703/0.30 कुल किता 2 कुल रकबा 0.54 है0 का 4/9 हिस्सा गैरसायल न0 1 के हक मे बेचान किया गया है। जिसका नामांतकरण न0 1057 दिनांक 19.07.2024 स्वीकार किये जाने से वर्णित आराजीयात मे गैरसायल न0 1 खातेदार काश्तकार साबित है। परन्तु सायल खातेदार काश्तकार साबित नही है, गैरसायलान न0 2 व 3 का जबाब व बहस मे कथन रहा कि वर्णित आराजीयात ख0न0 702 रकबा 0.24 हे0 पर सायल का दिनांक 30.06.2019 से या कभी कब्जा नही रहा है और नाही आज है सायल को कोई क्षति नही है जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से गैरसायल न0 1 को अपूर्तनीय क्षति होने की संभावना कारित की है। सायल मुताबिक जमाबन्दी खातेदार दर्ज नही है लेकिन कब्जे के संबध मे किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य/सबूत पत्रावली मे शामिल नही किये गये है। इसलिये पत्रावली मे शामिल दस्तावेजात व जबाब व बहस पर मनन के उपरान्त प्रथम दृष्टया प्रकरण सायल के पक्ष मे किसी भी प्रकार से साबित नही है, जब प्रथम दृष्टया प्रकरण सायल के पक्ष मे साबित नही होने से सुविधा का संतुलन गैरसयलान के पक्ष मे साबित है, अगर गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है तो सायल को कोई अपूर्तनीय क्षति नही होकर गैरसायलान खातेदार काश्तकार दर्ज होने से गैरसायलान को अपूर्तनीय क्षति होने की पूर्ण संभावना हैं। इस प्रकार सायल उक्त तीनो बिन्दुओ को साबित करने मे असफल रहे है। उक्त विवेचन अनुसार सायल का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना उचित नही पाते है।

आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:06:36 IST
Reason: SelfAttested

अतः सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीक[illegible] नहीं पाये जाने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 03.0[illegible] को खुले [illegible] मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली